




# फिर आतंकी हमले, सैनिकों का बलिदान व्यर्थ न जाये



ललित गगे

केन्द्र सरकार ने कर्मीर में विकास कार्यों को तीव्रता से साकार किया है, जो केवल विकास की बहुआयामी योजनाएं वहां चल रही है, बल्कि पिछले 10 सालों में कर्मीर में आतंकमुक्त करने में भी बड़ी सफलता मिली है। बीते साढ़े तीन दशक के दौरान कर्मीर का लोकतंत्र कुछ तथाकथित नेताओं का बंधुआ बनकर गया था, जिन्होंने अपने राजनीतिक स्वार्थों के लिये जो कर्मीर देश के माये का ऐसा मुकुट था, जिसे सभी प्यार करते थे, उसे डर, हिंसा, आतंक एवं दहशत का मैदान बना दिया।

गातर जम्मू-कश्मीर में बढ़ रही आतंकी घटनाएं चिन्ता का कारण बन रही है। डोडा जिले में एक आतंकी हमले में कैप्टन समेत सेना के चार जवानों और जम्मू कश्मीर के एक पुलिसकर्मी का बलिदान अब यही दर्शा रहा है कि शांति एवं अमन की ओर लौटा जम्मू-कश्मीर एक बार फिर आतंकवादी आघातकारी घटनाओं की भेंट चढ़ रहा है, इन घटनाओं का माकुल जबाव नहीं दिया गया तो यह घाटी एक बार फिर खुनी घाटी बन जायेगी। क्योंकि कुछ ही दिनों पहले कठुआ में एक सैन्य अफसर सहित पांच जवान आतंकियों का निशाना बन गए थे। इसके पहले भी जम्मू संभाग में ही सेना के कई जवान आतंकियों से लोहा लेते हुए अपना सर्वोच्च बलिदान दे चुके हैं। ये बहुत चिंतित करने वाले त्रासद एवं धिनौने घटनाक्रम हैं कि पिछले कुछ समय से कश्मीर घाटी के साथ-साथ जम्मू संभाग में भी आतंकियों की गतिविधियां बढ़ती जा रही हैं। हाल की कुछ घटनाओं से तो यह भी लगता है कि आतंकियों ने जम्मू संभाग को अपनी गतिविधियों का प्रमुख केंद्र बना लिया है। एक ऐसे समय जब जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव कराने की तैयारी हो रही है, तब आतंकियों का सक्रिय होना और सफलतापूर्वक अपने मनसूबों को कामयाब करना गंभीर चिंता का विषय है।

ज्यादा चिन्ताजनक यह है कि पाकिस्तान प्रशिक्षित आतंकी ने ऐसे बहु सारौन लड़के ले लिए हैं जिनमें से कोई

न कवल धुसपठ कर रह ह, बाल्क अपना गातावधया का अंजाम देने और इस क्रम में सेना को निशाना बनाने में भी सफल हो रहे हैं। सरकार को उन खुनी हाथों को खोजना होगा अन्यथा खुनी हाथों में फिर खुजली आने लगेगी। हमें इस काम में पूरी शक्ति और कौशल लगाना होगा। आदमखोरों की मांद तक जाना होगा। अन्यथा हमारी खोजी एजेंसियों एवं सेना की कबिलीयत पर प्रश्नचिन्ह लग जाएगा कि कोई दो-चार व्यक्ति कभी भी पूरे प्रांत की शासी और जन-जीवन को अस्त-व्यस्त कर सकते हैं, हमारी संवेदनाओं को झकझोर सकते हैं। संवेदनाओं एवं भावनाओं को झकझोर भी रहे हैं, जब आतंकवादी हमलों में शहीद जवानों के पार्थिव शरीर तिरंगे में लिपटे घर की ड्यूटी पर आते हैं तब कारुणिक माहौल को देखकर दिल दहल उठता है क्योंकि देश के लिए अपना सर्वोच्च लुटा देने वाला जवान किसी का बेटा, किसी का पति और किसी का पिता होता है। हर आंख में अंसू होते हैं। किसी की गोद, किसी की मांग सूनी हो जाती है। देशवासी सोचने को विवश हैं कि वे शोक संत्पत परिवार के साथ करुणा और पीड़ा को कैसे बढ़िं।

डोडा बावदात की जिम्मेदारी लेने वाले ह्यकशमीर टाइगर्स हैं जैसे आतंकी संगठनों की ताजा बौखलाहट की एक बड़ी



जवज ह जम्मू-कश्मीर में राजनीतिक प्रक्रिया की बहाली को लेकर बढ़ी सरगर्मी है। राज्य में लोकप्रिय सरकार के गठन के लिए अगले चंद महीनों में ही विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में, आतंकियों की बेचैनी समझी जा सकती है कि जिस तरह लोकसभा चुनाव में घाटी में लोग मतदान केंद्रों पर उमड़ पड़े और दशकों पुराना रिकॉर्ड टूटा, अगर विधानसभा चुनाव में लोगों का उत्साह और बढ़ा, तो जिन 'स्लीपर सेल्स' की बदौलत वे दहशत का अपना पूरा कारोबार चलाते हैं, वे भी मुख्यधारा के प्रति आकर्षित होकर, उनके खिलाफ हो सकते हैं। इसलिए उन्होंने घाटी के बजाय जम्मू संभाग में अपनी सक्रियता बढ़ाई है, ताकि लोकतांत्रिक प्रक्रिया को बाधित किया जा सके और सीमा पार के आकाओं से मदद हासिल करने का सिलसिला जारी रहे।

जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 की समाप्ति के बाद हुए पहले लोकसभा चुनाव में रिकॉर्ड मतदान से पाकिस्तान बौखलाया है। इसी का परिणाम है लगातार हो रहे आतंकी हमले। इन हमलों ने आंतरिक सुरक्षा के लिये नये सिरे से चुनौती पैदा की है। जम्मू में रियासी, कुतुआ और ढोडा के आतंकी हमले चिन्ता का बड़ा कारण बने हैं। जम्मू-कश्मीर का माहौल सुधरने के बाद वहां के बाजार, पर्यटक स्थल गुलजार हुए हैं और राज्य की अर्थव्यवस्था सुधर रही है। इसलिए देशद्राही नहीं चाहते कि कश्मीर में शांति आए और वहां पर निवाचित सरकार काम करे। केन्द्र में गठबंधन वाली मोदी सरकार के सामने यह एक बड़ी चुनौती है। क्या

निन आतंकी घटनाओं को केन्द्र सरकार ने गंभीरता से नहीं लिया है? जो सरकार पाकिस्तान में धूस कर बदला ले सकती है, वह सरकार अब तक शांत क्यों है? ऐसा क्यों हो रहा है, इसकी तह तक जाने की जरूरत है। आतंकी जिस तरह अपनी रणनीति बदलकर सुरक्षा बलों को कहीं अधिक क्षति पहुँचने में समर्थ दिखने लगे हैं, वह किसी बड़ी साजिश का संकेत है। एक और सीमा पार से होने वाली आतंकियों की धुसपैठ पर प्रभावी नियंत्रण करना होगा, वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान को नए सिरे से सबक भी सिखाना होगा। यह इसलिए अनिवार्य हो गया है, क्योंकि पिछले कुछ समय में आतंकी हमलों में बलिदान होने वाले सैनिकों की संख्या कहीं अधिक बढ़ी है।

पाकिस्तान सत्ता प्रतिष्ठानों की मदद से यह आतंक का खेल फिर शुरू कर रहा है। कहीं न कहीं दिल्ली में बनी गठबंधन सरकार को यह संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि पाक पोषित आतंकवादी जम्मू-कश्मीर में शांति एवं अपन को कायम नहीं रहने देंगे। एक आंकड़े के अनुसार पिछले तीन वर्ष में करीब 50 जवानों को अपना बलिदान देना पड़ा है। यह बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं। आतंक को करारा जवाब केवल तभी नहीं दिया जाना चाहिए, जब एक साथ बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों के जवानों को बलिदान देना पड़े। वास्तव में हमारे एक भी सैनिक का बलिदान व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। डोडा की घटना के बाद यह जो कहा जा रहा है कि सैनिकों के बलिदान का बदला लिया जाएगा, उसे न केवल पूरा करके दिखाया जाना चाहिए, बल्कि आतंकियों,

उनके आकाओं और उन्हें सहयोग-समर्थन देने वालों पर ऐसा करारा प्रहार किया जाना चाहिए, जिससे वे अपनी हरकतों से हमेशा के लिए बाज आएं। पाकिस्तान भले ही आर्थिक संकट और राजनीतिक अधिकारियों से जूझ रहा हो, लेकिन वह जमू कश्मीर में पहले की तरह ही आतंकवाद को बढ़ावा देने में लगा हुआ है। उसकी घेरू व विदेश नीति 'कश्मीर' पर ही आधारित है। चूंकि इसकी भरी-पूरी आशका है कि चीन उसे उकसाने में लगा हुआ होगा, इसलिए भारत को कहीं अधिक सतर्क रहना होगा।

केन्द्र सरकार ने कश्मीर में विकास कार्यों को तीव्रता से साकार किया है, न केवल विकास की बहुआयामी योजनाएं वहां चल रही है, बल्कि पिछले 10 सालों में कश्मीर में आतंकमुक्त करने में भी बड़ी सफलता मिली है। बीते साढ़े तीन दशक के दौरान कश्मीर का लोकतंत्र कुछ तथाकथित नेताओं का बधांआ बनकर गया था, जिन्होंने अपने राजनीतिक स्वार्थों के लिये जो कश्मीर देश के माथे का ऐसा मुकुट था, जिसे सभी प्यार करते थे, उसे डर, हिंसा, आतंक एवं दहशत का मैदान बना दिया। लेकिन वहां विकास एवं शांति स्थापना का ही परिणाम रहा कि चुनाव में लोगों ने बढ़-चढ़ कर हिस्सा लेकर लोकतंत्र में अपना विश्वास व्यक्त किया। बढ़ती आतंकी घटनाओं पर गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह नजर बनाए हुए हैं। इसमें कोई सदैव नहीं कि सुरक्षा बल आतंकवादियों को मुंहतोड़ जवाब देगा लेकिन रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि सुरक्षा बलों को आर्टिकियों के प्रति अपनी रणनीति बदलनी होगी और आतंकी जिन बिलों में छिपे होंगे उन्हें वहां से निकालकर ढेर करना होगा। आतंकवाद पर अतिम प्रहार करने की तैयारी करनी होगी और साथ ही आर्टिकियों के मददगारों की भी पहचान करनी होगी, तभी आतंकवाद को नेस्तनाबद किया जा सकता है।

पुलिस के आला अधिकारी यदि यह कह रहे हैं कि घाटी के नागरिक समाज में पाकिस्तानी 'घुसपैठ' को बढ़ावा देने में कतिपय राजनीतिक दलों का रुख भी जिम्मेदार रहा है, तो क्या यह आधारहीन है? इसका मुकाबला हर स्तर पर हम एक होकर और सजग रहकर ही कर सकते हैं। यह भी तय है कि बिना किसी की गद्दारी के ऐसा संभव नहीं होता है। ताजा आतंकी हमलों के विकराल रूप कई संकेत दे रहे हैं, उसको समझना है। कई सवाल खड़े कर रहा है, जिसका उत्तर देना है। यह पाकिस्तान का बड़ा षड्यंत्र है इसलिए इसका फैलाव भी बड़ा हो सकता है। ये घटनाएं चिल्ला-चिल्ला कर कह रही हैं हमारी खाजी एजेंसियों से, हमारी सुरक्षा व्यवस्था से कि वक्त आ गया है अब जिम्मेदारी से, सख्ती से और ईमानदारी से जम्मू-कश्मीर को संभालें।

संपादकीय

## ‘भूमिपुण्ड्र’ की राजनीति

कर्नाटक की सिद्धारमैया सरकार ने भारी विरोध के बाद बुधवार को उस विवादित विधेयक पर रोक लगा दी है, जिसके तहत निजी क्षेत्र में कन्ड. लोगों के लिए नौकरियों का प्रावधान किया गया था। इस विधेयक को बृहस्पतिवार को विधानसभा में प्रस्तुत किया जाना था। हैरानी की बात है कि संविधान की मूल भावनाओं को समझे बगैर कर्नाटक की कैबिनेट ने इस विधेयक को मंजूरी दी। कर्नाटक राज्य उद्योगों, कारखानों और अन्य प्रतिष्ठानों में स्थानीय उम्मीदवारों के लिए रोजगार विधेयक-2024 के प्रस्तावों के मुताबिक, निजी क्षेत्र के कंपनियों को प्रबंधन स्तर की 50 प्रतिशत और गैर-प्रबंधन स्तर की 70 प्रतिशत नौकरियां कन्ड. लोगों को अनिवार्य रूप से देनी होगी। इस विधेयक में यह भी प्रावधान था कि निजी क्षेत्रकी कंपनियों में समूह सी और डी श्रेणी के पदों के लिए स्थानीय निवासियों को 100 फीसद आरक्षण दिया जाएगा। इस तरह की 'भूमिपुत्र' नीति लागू करने वाला कर्नाटक पहला राज्य नहीं है। आंध्र प्रदेश ने 2019 में, हरियाणा ने 2020 में इसी तरह के मिलते-जुलते विधेयक पारित किए थे। वस्तुतः स्थानीय लोगों को निजी प्रतिष्ठानों में आरक्षण देने का प्रावधान शेष भारत के नागरिकों के साथ भेदभाव पैदा करता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करता है, जिसमें कहा गया है कि राज्य भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता से या कानूनों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। इन्हीं आधारों पर पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में दो सदस्यीय खंडपीठ ने 17 नवम्बर, 2023 को हरियाणा सरकार के कानून हरियाणा राज्य स्थानीय उम्मीदवारों के रोजगार अधिनियम, 2020 रद्द कर दिया जिसके तहत राज्य के निवासियों के लिए हरियाणा के उद्योगों में 75 फीसद आरक्षण का प्रावधान था। निजी कंपनियों का मानना है कि ऐसे कानून नियोक्ताओं के संवैधानिक अधिकारों पर कुठाराघात करते हैं। निजी क्षेत्र की नौकरियां कर्मचारियों की योग्यता और कौशल पर आधारित हैं। वस्तुतः नई आर्थिक नीतियों के कारण अब सार्वजनिक क्षेत्र में नौकरियां सीमित हो गई हैं। रोजगार के ज्यादातर अवसर अब निजी कंपनियों में ही रह गए हैं। इसलिए सरकारों को चाहिए कि ऐसे कदम न उठाएं जिनसे निजी कंपनियों के हितों पर चोट पहुंचे।

चिंतन-मनन

## कर्म के पाप-पुण्य में फंस जाता है जीव

ईश्वर क्षेत्रज्ञ या चेतन है, जैसा कि जीव भी है, लेकिन जीव के बल अपने शरीर के प्रति सचेत रहता है, जबकि भगवान् समस्त शरीरों के प्रति सचेत रहते हैं। चूंकि वे प्रत्येक जीव के हृदय में वास करने वाले हैं, अतः एवं वे जीवविशेष की मानसिक गतिशीलता से परिचित रहते हैं। परमामा प्रत्येक जीव के हृदय में ईश्वर या नियंता के रूप में वास कर रहे हैं और जैसा जीव चाहता है वैसा करने के लिए जीव को निर्देशित करते रहते हैं। जीव भूल जाता है कि उसे क्या करना है। पहले तो वह किसी एक विधि से कर्म करने का संकल्प करता है, लेकिन फिर वह अपने ही कर्म के पाप-पुण्य में फंस जाता है। वह एक शरीर को त्याग कर दूसरा शरीर ग्रहण करता है। चूंकि इस प्रकार वह आत्मा देहांतरण कर जाता है, अत उसे अपने विगत (पूर्वकृत) कर्मों का फल भोगना पड़ता है। वे कार्यकलाप तभी बदल सकते हैं जब जीव सतोगुण में स्थित हो और यह समझे कि उसे कौन से कर्म करने चाहिए। यदि वह ऐसा करता है तो उसके विगत कर्मों के सारे फल बदल जाते हैं। इसीलिए हमने यह कहा है कि पांच तत्त्वों- ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल तथा कर्म में से चार शात हैं, कर्म शात नहीं है। परम चेतन ईश्वर जीव से इस मपले में समान हैं- भगवान् तथा जीव दोनों की चेतनाएँ दिव्य हैं। यह चेतना पदार्थ के संयोग से उत्पन्न नहीं होती है। ऐसा सोचना भ्रातिमूलक है। किंतु भगवान् की चेतना भौतिकता से प्रभावित नहीं होती है। भगवान् कहते हैं- जब वे इस भौतिक विमें अवतरित होते हैं तो उनकी चेतना पर भौतिक प्रभाव नहीं पड़ता। यदि वे इस तरह प्रभावित होते तो दिव्य विषयों के संबंध में उस तरह बोलने के अधिकारी न होते जैसा कि वे भगवन्नीता में बोलते हैं। भौतिक कल्पण-ग्रस्त चेतना से मुक्त हुए बिना कोई दिव्य-जगत के विषय में कुछ नहीं कह सकता। अतः भगवान् भौतिक दृष्टि से कलुषित (दूषित) नहीं है। भगवन्नीता तो शिक्षा देती है कि हमें इस कलुषित चेतना का शुद्ध करना है।

**स्ता** त एक विशेष संख्या है। चाहे गणित (अभाज्य संख्याएं और संख्या सिद्धांत), संगीत (सात संगीतमय स्वर), खगोल विज्ञान (चंद्र चरण में दिन) या पौराणिक कथा (सप्त चक्र, सप्त समुद्र या सप्त ऋषि) हो, सात का चक्र हमारे चारों ओर निरंतर मौजूद है। इसलिए यह प्रयास उचित है कि इस महीने वसु एवं सेवा कर (जीएसटी) के सात साल पूरे होने पर, हम इस बात की जांच करने के लिए कुछ समय निकालते कि स्वतंत्रता के बाद के सबसे बड़े कर सुधार, जीएसटी, जिसे 1 जुलाई, 2017 की मध्य-रात्रि को लागू किया गया था, का प्रदर्शन कैसा रहा है। तब से, जीएसटी ने बड़े पैमाने पर अकादमिक ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया है। अनुपालन के सरलीकरण, लॉजिस्टिक्स में सुधार से लेकर मजबूत राजस्व संग्रह तक के प्रत्येक आयाम की विस्तार से जांच की गई है।

जीएसटी के विषय से जुड़े कई दृष्टिकोणों में से एक है-जीएसटी के राजस्व प्रदर्शन पर हाल में हुई चर्चा। जो अन्य बातों के साथ-साथ यह दर्शाती है कि सकल राजस्व संग्रह में तेज वृद्धि दर्ज की जा रही है, लेकिन इस वृद्धि के अनुरूप शुद्ध राजस्व नहीं बढ़ा है। शुद्ध राजस्व हाल ही में जीएसटी-पूर्व स्तरों पर पहुंच पाया है। शुद्ध संग्रह में इस गिरावट को कुछ चिंता के साथ देखा जा रहा है। इसके अलावा विशेष रूप से धन

A black and white portrait of Dr. B. R. Ambedkar, an Indian political leader and social reformer. He is shown from the chest up, wearing dark glasses and a dark suit jacket over a light-colored shirt. The image is framed by a thin black border.

**सो** शल मीडिया के इस युग में आजकल जिसे देखो वो अपने स्मार्ट फोन पर रील्स बनाते रहते हैं। कभी-कभी तो कुछ लोग इतने जोखिम भरे रील्स बनाते हैं जो जानलवा हो जाते हैं। कितनों की मौत हो जाती है तो कई लोग आजीवन विकलांग हो जाते हैं, परंतु आज सोशल मीडिया पर रील्स व पोस्टों से होने वाले जिस नुकसान की बात हम करेंगे वह इन सब से अलग है। दरअसल, सोशल मीडिया पर डाले जाने वाली पोस्ट और रील्स के चलते अब देश की संस्थाओं पर भी सवाल उठने लगे हैं। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि सरकारी नौकरी पर तैनात लोगों ने या नए-नए भर्ती हुए अधर्थी सोशल मीडिया पर कुछ ऐसा पोस्ट करते हैं जो उन्हें नहीं करना चाहिए। ये शौक उन्हें बहुत महंगा पड़ जाता है। मामला एक महिला प्रशिक्षार्थी आईएएस अधिकारी का है, जिसने नई मिली सत्ता के नशे में कुछ ऐसा कर डाला कि संघ लोक सेवा आयोग की प्रतिष्ठा भी दांव पर लग गई। पुणे जिला मुख्यालय में प्रशिक्षण के लिए नियुक्ति के दौरान अपनी अनुचित मांगों और अभद्र व्यवहार के कारण 2023 बैच की आईएएस पूजा खेडकर आजकल काफी चर्चा में है। इन पर आरोप है कि बतौर प्रोबेशन आईएएस अधिकारी रहते हुए इन्होंने सत्ता का दुरुपयोग किया। हट तो तब हुई जब पूजा की अनुचित मांगों को प्रशासन द्वारा स्वीकारा नहीं गया तो उन्होंने अपनी निजी

# जीएसटी के सात वर्ष, उत्सव मनाने के लिए

वापरी (रिफंड) के साथ डेटा की उपलब्धता की कमी तथा जीएसटी परिषद के कामकाज पर भी कुछ चिंताएं व्यक्त की गई हैं। आइए राजस्व प्रदर्शन से शुरू करते हुए इनमें से प्रत्येक बिंदु पर गहराई से विचार करें। खुशी की बात है कि शुद्ध राजस्व संग्रह लगातार बढ़ रहा है और जीएसटी लागू होने के बाद इसकी वृद्धि की गति बढ़ी है। दूसरा, जीएसटी शुरू होने के बाद की अवधि में शुद्ध राजस्व की वर्ष-दर-वर्ष आधार पर होने वाली वृद्धि (जीएसटी के शुरू होने से पहले की अवधि में 11.81 प्रतिशत की तुलना में) औसतन 12.76 प्रतिशत रही। यह उपलब्ध महामारी के बाहरी झटके के बावजूद है। तीसरा, हम यह देख सकते हैं कि शुद्ध राजस्व वृद्धि ने लगातार सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि की तुलना में बेहतर प्रदर्शन किया है। यह नई कर व्यवस्था की प्रणालीय दक्षताओं को दर्शाता है। राजस्व संग्रह कर दरों का एक फलन होता है। यहां संदर्भ के लिए, हम इस तथ्य को याद कर सकते हैं कि कर संग्रह संबंधी दक्षता में सुधार के साथ-साथ कर दरों में उल्लेखनीय कमी आई थी। जीएसटी की शुरूआत से पहले, जीएसटी के लिए राजस्व निरपेक्ष दर (आरएनआर) से संबंधित समिति ने 15-15.5 प्रतिशत की दर की सिफारिश की थी। इसके ठीक उल्ट जीएसटी की शुरूआत के समय इसकी प्रभावी दर 11.4 प्रतिशत होने का अनुमान लगाया गया था। बाद में सितंबर 2019 में इसे घटाकर 11.6 प्रतिशत कर दिया गया और मार्च, 20238 में यह 12.2 प्रतिशत हो गया। राजस्व के संदर्भ में, इसे अर्थव्यवस्था के लिए पिछले साल ही 4.3 लाख करोड़ रुपये से अधिक की बचत (प्रोत्साहन) के रूप में निरूपित किया जा सकता है। यह ध्यान रखना दिलचस्प है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर की तुलना में भारत की जीएसटी दरें दुनिया में सबसे कम हैं। एक उठाता हुआ ज्वार सभी नावों को ऊपर उठा देता है। राजस्व में वृद्धि एक बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था का स्वाभाविक परिणाम होता है, हालांकि सकल घरेलू उत्पाद में होने वाली वृद्धि के ऊपर राजस्व संग्रह में होने वाली वृद्धि (या उछाल) एक कर प्रणाली की प्रणालीय दक्षता की असली परीक्षा होती है। इस मामले में, जीएसटी की शुरूआत के बाद से पहले पांच वर्षों के दौरान, सकल घरेलू उत्पाद (मौजूदा कीमतों पर) के मुकाबले शुद्ध राजस्व उछाल 1.02 था, जबकि जीएसटी के बाद के सात वर्षों के दौरान यह 1.28 था। यह जीएसटी द्वारा संभव बनाई गई संग्रह संबंधी क्षमता का एक प्रमाण है। निस्सदै, मासिक आधार पर जारी किए गए राजस्व के आंकड़ों में आमतौर पर सकल संग्रह के आंकड़े शामिल होते हैं। शुद्ध आंकड़े केवल फरवरी, 2024 से प्रकाशित किए गए हैं। हालांकि, जीएसटी की शुरूआत

तए बहुत कुछ

के बाद से प्रत्येक वर्ष की वार्षिक सांख्यिकीय रिपोर्ट प्रकाशित की गई है और सार्वजनिक रूप से रखी गई है। इन रिपोर्टों में निर्यात के कारण किए जाने वाले जीएसटी रिफंड से संबंधित महीने-वार विवरण शामिल हैं। इसलिए रिफंड संबंधी आंकड़ों की सार्वजनिक घृण्यता, थोड़े अंतराल पर ही सही, बनी हुई है। हम, बिना किसी आधार के, इस दावे की जांच करने के लिए आगे बढ़ते हैं कि जीएसटी परिषद में केन्द्र का 'प्रभुत्व' है। जीएसटी की शुरूआत के साथ, केन्द्र और राज्यों ने नए कर के प्रशासन से संबंधित मामलों में, खासतौर पर नीति निर्माण, दरों के निर्धारण, कानूनों/नियमों का मसौदा तैयार करने, अनुपालनों के समन्वय आदि जैसे क्षेत्रों में अपनी सप्रभुता को एकाकार किया। कभी-कभी इसे राज्यों की शक्तियों पर प्रतिवंध के रूप में उद्भूत किया जाता है। हालांकि, यह केन्द्र सरकार के लिए भी समान रूप से एक 'प्रतिवंध' है। जीएसटी परिषद ने अपनी समितियों के समर्थन से कई जटिल मुद्दों पर विचार किया है और वह कई ऐसी सिफारिशें लेकर आगे आई है, जिससे कानून के प्रशासन में एक रूपता और दरों की संरचना में स्थिरता आई है। यह सहकारी संघवाद की भावना का एक प्रमाण है। जीएसटी परिषद के सभी निर्णय सर्वसम्मति से लिए गए हैं।

# सोशल मीडिया: महंगा पड़ता रील्स का दिखावा



विदेशी लग्जरी कार का इस्तेमाल किया और उसी पर लाल बत्ती लगवा डाली। उन पर यह भी आरोप है कि एडिशनल कलेक्टर के छुट्टी पर रहने के दौरान खेड़कर ने उनके चेंबर पर कब्जा कर लिया और अपनी नेमप्लेट तक लगा दी। इस तरह ताकत का प्रदर्शन करने के शौक ने उन्हें इस हद तक गिरा दिया कि वे नियम और कानून की खुलेआम धज्जियाँ उड़ाने लग गढ़। इतना ही नहीं जैसे ही इनकी अनुचित मांगों के किसी मीडिया में आने लगे तो इनके चयन को लेकर भी सवाल उठने शुरू हो गए। उल्लेखनीय है कि, सिविल सेवा परीक्षा के दौरान पूजा खेड़कर ने यह दावा किया था कि वह मानिसक रूप से दिव्यांग हैं और उन्हें देखने में भी समस्या है। इसी दावे के चलते पूजा को रियायत मिली और कम अंक पाने के बावजूद उन्हें

आईएएस में चुन लिया गया। परंतु हैरानी की बात यह है कि बिना मेडिकल जांच के ही उनका प्रशासनिक सेवा में चयन कैसे हुआ? पांच बार मेडिकल जांच को चक्रमा देने के बाद, कुछ सप्ताह बाद उन्होंने एक निजी किलिनिक की जांच रिपोर्ट जमा करवाई जिसे संघ लोक सेवा आयोग ने अस्वीकार कर दिया। इस सबके बावजूद न सिर्फ पूजा का चयन आईएएस में हुआ बल्कि नियमों के विरुद्ध उन्हें ट्रेनिंग के लिए उनके गृह राज्य में ही भेज दिया गया, जबकि गृह राज्य में पोस्टिंग सेवाकाल के अंत में विशेष परिस्थितियों में दी जाती है। मामले के तूल पकड़ने पर पूजा को उनकी ट्रेनी पोस्ट से हटा कर वापस मसूरी के लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी भेज दिया गया है जहां पूजा को उन पर लगे आरोपों की जांच होने तक रहना होगा।









खरपतवार धरती पर बिन बुलाए  
देशी और विदेशी मेहमान हैं।

दुखद पहलू यह है कि इसमें

विदेशी खरपतवार ज्यादा सिर

उठाये हुए हैं। पचास के दशक में  
अमेरिका से पी.एल. 480 योजना

के तहत आयातित गेहूं के साथ

पारथेनियम भारत आया। असल में

इस दौरान विदेशी वनस्पति के

देश में ग्रनेश के संगरोधन नियम

ज्यादा प्रभावी नहीं थे। यही नहीं

उस समय भूखी जनता के पेट की

आग को बुझाने का मुख्य मुद्दा

हमारे सामने था। इसके अलावा

गेहूंसा/मंडूसी (फैलेरिस

माइनर) नामक घास के बीच

मिश्रित सूप से हरित क्रांति से पूर्व

मैक्सिको से आयातित गेहूं के

साथ आये। यही घास जिसको

हमारे किसान गेहूं का मामा या

गुल्ली डंडा कहते हैं, आज गेहूं की

फसल की खुराक खा जाने वाला

मुख्य खरपतवार है (डॉ. राजवीर

शर्मा 2005)



यह निर्विवाद सत्य है कि खरपतवारों की उपस्थिति फसल की उपज को कम करने में सहायक है। किसान जो अपनी पूर्ण शक्ति व साधन फसल की अधिकतम उपज प्राप्त करने के लिये लगता है, ये अनेक गेहूं विदेशी इस उद्देश्य को पूरा नहीं होने देते। खरपतवार फसल के पोषक तत्व, नमी, प्रकाश, स्थान आदि के लिए प्रतिस्पर्धा करके फसल की

# खरपतवारों की विशेषताएं स्वभाव और हानियां

वृद्धि, उपज और गुणों में कमी कर देते हैं, (डॉ. अनिल वीकित, डॉ. एन.टी. यदुराज, और डॉ. जे.एस. मिश्रा, 2004)।

## खरपतवारों की विशेषताएं तथा स्वभाव

खरपतवार विशेष प्रकार की वृद्धि करने के स्वभाव तथा वीजोत्पादन के ढंग रखते हैं। मुख्य विशेषताओं का संक्षिप्त विवरण निम्न लिखित हैः-

- अनेक खरपतवार विषम परिस्थितियों में अच्छी प्रकार वृद्धि करते हैं।

● अनेक खरपतवार वानस्पतिक ढंग से उत्पन्न होते रहते हैं और अपनी संतान वृद्धि/प्रसार करते हैं। यदि उनको वीजोत्पादन से रोक दिया जाये तब भी वे नये पौधों को जन्म देते रहेंगे और उनका प्रसार होता रहेगा। जैसे मोथा की भौमिक गांठे, हिरनखुरी की भूमिगत जड़े तथा तने।

● बहुत से खरपतवार चिपकने वाले गोंद जैसे पवार्थी से ढके रहते हैं। इनमें कांटे पाये जाते हैं। इन उपायों से वे पशुओं तथा मुख्यों द्वारा नष्ट होने से अपनी रक्षा करते हैं।

● अनेक खरपतवार फसलों से सफलतापूर्वक प्रतियोगिता करते हैं, क्योंकि वे विषम परिस्थितियों में अपने रूपान्तरित विधि से जीवन यापन की क्षमता रखते हैं।

● असंख्य बीज प्रतिवर्ष खरपतवार द्वारा उत्पन्न होते हैं।

● खरपतवार के बीज बहुत वर्षों तक जीवन के अंदर दबे रहते हैं और उनकी अंकुरण शक्ति नष्ट नहीं होती है। यह शक्ति दस, बीस और तीस वर्षों तक भी बनी रहती है बथुआ में देखा गया है कि इसके बीज बीस से चालीस वर्षों तक भूमि में दबे रहने पर जमने की शक्ति रखते हैं।

● कुछ खरपतवार के बीज उसी समय पकते हैं जबकि फसल पक कर तैयार होती हैं। अथवा फसल पक कर तैयार होने के पहले ही खरपतवार के बीज भूमि पर गिर जाते हैं या फसल के साथ ही कट लिए जाते हैं।

● कुछ बीज फसलों के बीज से इतनी समानता रखते हैं कि उनको करना बहुत ही कठिन कार्य है।

● खरपतवार की जड़ें बहुत ही विकसित होती हैं और मिट्टी में गहराई तक पहुंचकर अपना खाद्य पदार्थ प्राप्त करने की क्षमता रखती है। जड़ों की वृद्धि खरपतवारों में फसलों की अपेक्षा अधिक होती है। यह देखा गया है कि हिरनखुरी की जड़ें 6 मीटर की गहराई तक भूमि में जाती हैं। जवासा की जड़ें 3 से 4 मीटर और वायसुरी तथा कांस की जड़ें 6 मीटर की गहराई तक भूमि के नीचे पहुंचती हैं।

● खरपतवारों में रोगों और कीटों के आक्रमण को



रोकने की क्षमता होती है।

द्य खरपतवार हर प्रकार की कमज़ोर भूमियों में उग सकते हैं, जैसे ऊसर, बंजर, कंकरीली तथा दलदली भूमियों में भी खरपतवार अच्छी प्रकार अपना प्रसार करते हैं।

● घास पात के पौधे भूमि से पोषक पदार्थों का उपयोग करते हैं जिसकी मात्रा उपर्यागी फसलों के पौधों द्वारा प्रयोग होने वाले पोषक पदार्थों की तुलना में अधिक होती है। जंगली सरसों (ब्रेसिका साइनेन्सिस) की जड़ के पौधों की अपेक्षा दुगने पोटाश की आवश्यकता होती है।

● घासपात कृषि कार्य में अवरोध उत्पन्न करते हैं, श्रम एवं उपकरणों के खर्च में वृद्धि करते हैं तथा फसलों के गुण एवं उत्पादन में कमी करते हैं।

● घासपातों से आक्रांत फसलों की कटाई चाहे श्रमिकों से कराई जाए या मरीनों से, किन्तु श्रम खर्च में वृद्धि होती है। घासपातों के कारण कटाई के यंत्रों में अधिक टूट-फूट, गत्यवारोध तथा अधिक मूल्य द्वारा हास होता है।

● अनाज में मिले घासपातों के बीजों के कारण उपज की गुणवत्ता कम होती है। तथा इसका बाजार मूल्य फसल मिलता है। गेहूं में लेथरस एफाका (खेसरी, मटरी) आदि सामान्य घासपातों के बीज मिले होने पर बाजार में उसकी कीमत ही कम नहीं मिलती अपेक्षु खाद्यामान भी कम हो जाता है। इसी प्रकार दुधारू पशु के चारे में बन लेसुन (वाइल्ड गार्लिंक) मिल जाने पर दूध में अप्रिय गंभीर अनेक लगती है। पशुओं के बालों में कोलकर चिपका होने से उनकी कीमत कम हो जाती है।

● घासपात के कारण चारागाहों की घास उत्पादकता



कम हो जाती है तथा भूमि मूल्य में हास होता है। इस प्रकार की क्षति विशेषकर बहुवर्षिक घासपातों के कारण होती है।

● घासपात कीटों और पीड़क रोगों को आश्रय प्रदान करते हैं तथा इनके वैकल्पिक परापोषियों का कार्य करते हैं जो उपर्योगी फसलों की क्षति पहुंचाते हैं। उदाहरणार्थ जंगलीगाजर पर रस्ट फ्लाई तथा गाजर का छुन होते हैं जो गाजर की फसल पर आक्रमण करते हैं। इसी प्रकार घासपातों पर फूंदी और अन्य रोगाणु बहुपूर्ण होते रहते हैं।

● घासपात सिंचाई और जल निकास व्यवस्था में बाधा उत्पन्न करते हैं। नालियाँ रुक जाती हैं तथा घासपात के बीज जल के साथ ऐसे खेतों में चले जाते हैं जहां सिंचाई जल जाता है। इसके अतिरिक्त जलीय घासपात झीलों व तालाबों इत्यादि को क्षति पहुंचाते हैं।

● कृषि और उदानों को हानि पहुंचाने के अलावा घासपात वनों का भी हानि पहुंचाते हैं। वनों की पुनर्जनन अवधि कभी-कभी 15-30 वर्ष तक होती है तथा अनुपर्योगी पौधों की कास्तीय भूमिगत वृद्धि को यदि ठीक से नियंत्रित न किया जाय तो यह उपर्योगी पौधों के साथ त्रिव स्पर्धा करती है। लैन्टाना दक्षिण भारत तथा हिमाचल प्रदेश के चंद्र (सेट्टेलम) इवानी के लिए पहले ही घातक सिद्ध हो रहा है। देवदिकर एवं सहयोगियों के अनुसार यूफोरिया जेनिकुलाटा आदि कुछ घासपातों से रस लेने के कारण मधुमक्खियों को बहुधा विषाक्तता हो जाती है। घासपात के खिले पुष्प मधुमक्खियों को आकर्षित करने में उपर्योगी फसलों से स्पर्धा करते हैं जिससे इनमें परागण कम हो जाता है और अनन्त: उपज कम हो जाती है। (देवदिनकर 1961)।



## प्रतिवंधात्मक/निवारण विधियां

इस विधि में वे क्रियाएं शामिल हैं जिनके द्वारा फसलों के खेतों में खरपतवारों के प्रवाह को रोका जा सकता है जैसे—

- खरपतवार रहित शुद्ध प्रमाणित बीज बोना।
- कृषि में प्रयोग आने वाली मरीन व यंत्र साफ हो।

● सिंचाई की नालियाँ व नहरों के किनारे उपजारे उपर खरपतवारों को समय से नष्ट कर दें।

● अच्छी तरह से सड़ी पकी गोबर और कम्पोस्ट खाद का खेतों में इस्तेमाल करें।

● ज्यादातर बहुवर्षीय खरपतवार जैसे कांस, पैराग्रास, दुब घास, मोथा, भोण्ड घास, कांदी इत्यादि खेतों की मेड़ के माध्यम से चुपके-चुपके खेत में प्रवाह करते हैं और बाद में बड़े पैमाने पर पूरे खेत में फैल जाते हैं इसलिए ख



